भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन

संभाग उज्जैन निगरानी 1009-II-15

निगरानी क्रमांक /2015

1– राजुबाई विधवा करणसिंह

2– अर्जुन पिता करणसिंह

3– लाखन पिता करणसिंह

निवासीगण ग्राम राजोदा तेह.व जिला देवास

4– मिश्रीबाई पिता करणसिंह पति गंगाराम

निवासी हाटपिपल्या तेह.हाटपिपल्या

जिला देवास

5– बेबोबाई पिता करणसिंह पति स्व. जगदीश

निवासी सुतारबाखल देवास

6– भुरीबाई पिता करणसिंह पति लाखन

निवासी शांतिपुरा देवास -- प्रार्थीगण/

करणसिंह पिता मोहनसिंह के वारीस निगरानीकर्तागण

प्रार्थीगण व प्रत्यर्थी क.1 व 2

विरूद्ध

करणसिंह पिता मोहनसिंह मृतक

1– सरदारसिंह पिता करणसिंह

2– विकम पिता करणसिंह

निवासीगण राजोदा तेह. व जिला देवास

करणसिंह पिता मोहनसिंह के वारीस

प्रत्यर्थी क.1 व 2

3– अयोध्याबाई पिता मोहनसिंह पति देवीसिंह

निवासी राजोदा तेह. व जिला देवास

4– सम्पतबाई पिता मोहनसिंह पति अन्तरसिंह

निवासीगण ग्राम देहरी तेह.बागली जिला देवास ---- प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

माननीय तहसीलदार महोदय, तहसील देवास के न्यायालयीन प्र.क. 53/अ–6/2012–13 मे पारित आदेश दिनांक 20.5.2015 से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर प्रार्थीगण की ओर से उक्त निगरानी प्रकरण की संक्षेपिका सहित निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :–

:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.2.2013 को एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 109, 110 म.प्र.भू. र. संहिता का प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम जेतपुरा तैह. देवास प.ह.नं.17 मे स्थित भूमि सर्वे नं. 457 रकबा 3.840 हैक्टर लगान 30.77 पैसे की करणसिंह पिता मोहनसिंह के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, भूमि स्वामी की मृत्यु दिनांक 3.2.2013 को हो जाने के उपरांत प्रार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क.1 व 2 का मृतक के स्थान पर नामांतरण करने हेतु निवेदन किया गया। प्रकरण विधिवत न्यायालय मे दर्ज किया जाकर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया, व मौजा पटवारी से मौका स्थिति अनुसार रिपोर्ट चाही गई , विज्ञप्ति तामिली उपरांत विपक्षी क.1 व 2 द्वारा सूचनापत्र नही लेने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उसके उपरांत विपक्षी क.1 व 2 की ओर से प्रकरण को द्विपक्षीय कराया गया, तथा जवाब पेश किया तदउपरांत प्रतिप्रार्थी क. 3 व 4 द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गई और आपत्ति व्यक्त की कि, आपत्तिकर्ता स्व. मोहनसिंह की पुत्रीया होकर अपना नाम अंकित करवाने की अधिकारी है, कम्प्यूटर के कालम नं. 12 व 13 मे त्रुटीवश आपत्तिकर्ता का नाम अंकित नही है। उपरोक्त आपत्ति का जवाब प्रार्थीगण द्वारा दिया गया । उसमे माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

श्रीमती राजूबाई/कलेक्टर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1009/II/15 जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार देवास के प्रकरण क्रमांक 53/31-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 20.5.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर देवास को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर देवास के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	